

फॉर्म-ख / FORM B
भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड
(अनुसंधान विश्लेषक) विनियम, 2014
(विनियम 9)

Securities and Exchange Board of India

(RESEARCH ANALYSTS) REGULATIONS, 2014

(Regulation 9)

प्रमाणपत्र सं. / Certificateno. 1581

अनुसंधान विश्लेषक के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र
CERTIFICATE OF REGISTRATION AS RESEARCH ANALYST

1. बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) { सेबी अधिनियम } के अधीन बनाए गए विनियमों के साथ पठित सेबी अधिनियम, 1992 की धारा 12 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा ।

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 12 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), read with the regulations made thereunder, the Board hereby grants a certificate of registration to

KAUSHAL KUMAR SHARMA
DQOPS4967P

को, अधिनियम और उनके अधीन बनाए गए विनियमों में निर्धारित शर्तों के तहत, अनुसंधान विश्लेषक के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करता है ।

as a Research Analyst subject to the conditions specified in the Act and the regulations made thereunder.

2. अनुसंधान विश्लेषक की रजिस्ट्रीकरण संख्या है :

The Registration Number of the Research Analyst is : INH000024310

3. यह प्रमाणपत्र 17/12/2025 से तब तक मान्य रहेगा जब तक इसे बोर्ड द्वारा विनियमों के अनुसार निलंबित या रद्द न कर दिया जाए ।

This certificate shall be valid from 17/12/2025 till it is suspended or cancelled in accordance with the Regulations.

आदेश द्वारा
भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड
के लिए और की ओर से
By order
For and on behalf of

स्थान /Place: Mumbai

तारीख /Date: 17/12/2025



Securities and Exchange Board of India

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता / Authorised Signatory

इन शर्तों के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया जा रहा है
Conditions subject to which registration is granted:

1. यह रजिस्ट्रीकरण भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) को प्रदान की गई और इस समय सेबी के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर प्रदान किया जा रहा है, लेकिन यदि आगे चलकर अनुसंधान विश्लेषक के खिलाफ कुछ भी प्रतिकूल पाया जाता है या उसे दोषी पाया जाता है, तो ऐसे में सेबी इस रजिस्ट्रीकरण को रद्द कर सकेगा।

The registration is granted on the basis of information provided to and available with SEBI at this point of time and does not preclude SEBI from cancelling the registration later if anything adverse is found against the Research Analyst or if the Research Analyst is convicted.

2. यह प्रमाणपत्र इस शर्त पर प्रदान किया जा रहा है कि आप भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अनुसंधान विश्लेषक) विनियम, 2014 में दी हुई शर्तों और प्रावधानों का पालन करेंगे।

The certificate has been granted subject to the conditions and provisions mentioned in Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and SEBI (Research Analysts) Regulations, 2014.

3. अनुसंधान विश्लेषक अपने क्रियाकलापों के संबंध में सेबी या भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले दिशानिर्देशों / निदेशों / अनुदेशों / परिपत्रों, आदि का पालन सुनिश्चित करेंगे।

The Research Analyst shall ensure compliance with the Guidelines / Directives / Instructions / Circulars, etc. issued by SEBI or the Government of India from time to time relating to the activities carried on by them.

4. सेबी, सरकार और अन्य प्राधिकरणों के साथ भविष्य में पत्र-व्यवहार करते समय अनुसंधान विश्लेषक को अपनी रजिस्ट्रीकरण संख्या बतानी होगी, जो इस प्रकार होगी।

In respect of all future correspondence with SEBI, Government and other authorities, the Research Analyst should quote its registration number as **INH000024310**

5. अनुसंधान विश्लेषक को रजिस्ट्रीकरण की अवधि बढ़ाने के लिए फीस अदा करनी होगी, जिसका उल्लेख भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अनुसंधान विश्लेषक) विनियम, 2014 की दूसरी अनुसूची में किया गया है।

The Research Analyst, to keep the registration in force, shall pay renewal fees as specified in Second Schedule of the SEBI (Research Analysts) Regulations, 2014.

6. अनुसंधान विश्लेषक द्वारा अदा की गई फीस रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की तारीख से पाँच वर्षों की अवधि तक मान्य रहेगी, और रजिस्ट्रीकरण को मान्य बनाए रखने के लिए जिस अवधि के लिए फीस अदा कर दी गई हो उस अवधि के समाप्त होने की तारीख से तीन महीने पहले अनुसंधान विश्लेषक को सेबी द्वारा निर्धारित की गई फीस (जो भी सेबी द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाए) अदा करनी होगी।

The registration fee paid by the Research Analyst is valid for a period of five years from the date of certificate and to keep the registration in force, shall pay fee as prescribed by SEBI from time to time, every five years, within three months before expiry of the period for which fee has been paid.

7. यह प्रमाणपत्र, अन्य बातों के साथ-साथ, उपरोक्त विनियमों के विनियम 13 में दी गई निम्नलिखित शर्तों के तहत प्रदान किया जा रहा है :
The certificate has been granted subject to the following conditions, inter alia, as specified in Regulation 13 of the above Regulations:

7.1 अनुसंधान विश्लेषक अधिनियम और इन विनियमों के प्रावधानों का पालन करेगा।

The Research Analyst shall abide by the provisions of the Act and these regulations.

7.2 यदि बोर्ड को पहले से प्रस्तुत की गई कोई जानकारी या विवरण किसी भी प्रकार से मिथ्या या भ्रामक पाए जाते हैं या यदि पहले ही से प्रस्तुत की गई जानकारी में कोई महत्वपूर्ण बदलाव होता है, तो अनुसंधान विश्लेषक तुरंत बोर्ड को लिखित रूप में सूचित करेगा।

The Research Analyst shall forthwith inform the Board in writing, if any information or particulars previously submitted to the Board are found to be false or misleading in any material particular or if there is any material change in the information already submitted.

7.3 इन विनियमों के तहत रजिस्टर अनुसंधान विश्लेषक अपने ग्राहकों के साथ किए जाने वाले समस्त पत्र-व्यवहार में 'अनुसंधान विश्लेषक' शब्दों का प्रयोग करेंगे।

Research Analysts registered under these regulations shall use the term 'research analyst' in all their correspondences with their clients.

8. आपका ध्यान विशेष रूप से अध्याय-III की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसमें इनके संबंध में उल्लेख किया गया है – आंतरिक नीतियाँ और प्रक्रियाएँ तैयार करना, अनुसंधान विश्लेषकों द्वारा व्यापार (ट्रेडिंग) पर सीमाएँ, अनुसंधान विश्लेषकों का प्रतिकर (कम्पेनसेशन), अनुसंधान (रिसर्च) रिपोर्टों के प्रकाशन, लोगों के सामने आने और कारबार के संचालन आदि संबंधी सीमाएँ आदि, जो अनुसंधान विश्लेषक द्वारा दी जाने वाली समस्त अनुसंधान सेवाओं पर लागू होगा ।

Attention is particularly invited to Chapter III for establishing internal policies and procedures, limitation on trading by Research Analysts, compensation of Research Analysts, Limitations on publication of research report, public appearance and conduct of business, etc., which shall apply to all research services provided by the Research Analyst.

9. अनुसंधान विश्लेषक यह सुनिश्चित करेगा कि अनुसंधान विश्लेषक के रूप में उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों का उसके द्वारा किए जाने वाले किसी ऐसे दूसरे कार्य से कोई संबंध न हो जिसे करने की मंजूरी उसे प्रदान की गई हो ।

Research Analyst shall maintain an arms – length relationship between its Research Analyst activities and other permitted activities.

10. अनुसंधान विश्लेषक यह दिखाकर कि वह सेबी से रजिस्टर है न तो कोई दूसरी गतिविधि करेगा और न ही ऐसा कोई कार्य करेगा जिसकी अनुमति विनियम के तहत न दी गई हो ।

The Research Analyst shall not make use of its registered status with SEBI in furtherance of unrelated activities or any other purpose which is not permitted in the Regulations.

11. निवेशक अनुसंधान विश्लेषक के साथ लेनदेन करने से पहले सेबी के वेबसाइट (www.sebi.gov.in) पर जाकर उनके रजिस्ट्रीकरण की स्थिति जान लें ।

Investors may check registration status of the Research Analysts on SEBI website: www.sebi.gov.in before transacting with them.